

प्रदीप रेखा पाता
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन

मुख्य अभियन्ता स्तर-१,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

~~श्रीमति~~
~~मिशनी एवं~~
~~29/03/06~~
~~3/4/06~~
~~29/3/06~~

पं.	755
फ.	16/6
	31/3/06

लोक निर्माण अनुभाग-२

विषय- वित्तीय वर्ष २००७-०८ में राज्य योजना के अन्तर्गत ०७ कार्यों के निर्माण के प्रशासकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महादय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर-२ लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये ०७ कार्यों के आगणन लागत रु० ६२९.१६ लाख रुपये के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये ६२९.१६ लाख (रु०६२९.१६ लाख उनतीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके राज्य कालम-०६ में अंकित रु० ०.०५ लाख विवरणानुसार कुल रु० ०.३५ लाख (रुपये पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि परमान वित्तीय वर्ष २००७-०८ में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

१. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता अमादन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

२. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

३. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आपात कर्य किया जायेगा।

एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त आवश्यक होगा।

कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग वाले दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गम्भीरता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण स्थान स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यिध उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद गदापि न किया जाय।

सहर्षक अभियन्ता
प्राविधिक अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन

सहर्षक अभियन्ता
प्राविधिक अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन

सहर्षक अभियन्ता

कार्य करने से लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उसकी को ब्रेयर में लाया जाय।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही कार्य जारी और आदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जाएगा।

4. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य किया जाएगा तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि शासन को सर्वप्रिति कर दी जायेगी।

5. यदि करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य सांख्यिकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने के लिए नवीनी/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों का स्वीकृत भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2008 तक उक्त व्यय कार्य कराते समय टैप्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि उक्त व्यय स्वीकृत की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रयोग कर राजकीय कोप में जमा कर दिया जायेगा।

6. इससे किसी तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय/नातिक प्रराप्ति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि अनुभाग ही आगामी किसत अवमुक्त की जायेगी।

7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक नियमों

9. 22 लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला

10. वर्ष-2007-08 800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 बहुत निर्माण कार्य के

11. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यूआ०-389 / XXVII(2)/

12. 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उल्लंघनः-07 कार्यों की सूची।

छातीजीवी

प्रधानमंत्री

प्रदीप सिंह

उप सचिव

कार्यालय

(1) / 111-2/08, तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टस बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. असुवत्त कुमाऊ गण्डल नैनीताल।
3. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी नैनीताल।
4. कुरझ अभियन्ता स्तर-2 लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. पर्सिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वां वृत्त, लो.नि.वि.0, नैनीताल।
7. निदशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

कार्यालय
कुरझ अभियन्ता स्तर-2
तोक्ष नियमित विज्ञप्ति

आज्ञा सं

नैनीताल

-५०८०-३८१/२० अग्रा (क) | ६७

-५०८०-२१३१५७

(प्रदीप सिंह)

उप सचिव

उपर्युक्त अभियन्ता कुमाऊ एवं लोक नियमित, उत्तराखण्ड।

उपर्युक्त अभियन्ता कुमाऊ एवं लोक नियमित, उत्तराखण्ड।

तथा

सारकारी संख्या-883/ 111(2) / 08-66 (एम.एल.ए.)/ 07 दिनांक 28 मार्च, 2008 का सल.

(धनराशि लाख)

कार्य का नाम	लम्बाई	लागत	वित्त विभाग	प्रिवेट
लाक निर्माण विभाग विश्राम गृह ज्योलीकोट से यलुवाधाल मार्ग में 80x80 का कार्य।	0.800	16.00	16.00	0.05
जनपद नैनीताल में बजून फगुनियांखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	140.00	140.00	0.05
मंगाती खमारी थापला जलालगांव देहाँरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00	245.00	245.00	0.05
जगपद नैनीताल में हरीनगर चन्दादेवी मार्ग के किमी 03.00 में खरालागाड़ में 36 मी 0 स्पान का लौह पुल का निर्माण कार्य।	36 मी 0	107.56	107.56	0.05
जनपद नैनीताल में जगलियागांव सलुवाताल मोटर मार्ग का विस्तार।	1.00	35.00	35.00	0.05
मूसायार-वजुनियाहल्दु से फारस्ट गेट तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.20	33.60	33.60	0.05
मूसायार-तुपानवाड़-पतलिया मार्ग के किमी 02 से हत्थानवाड़ मार्ग का निर्माण पुलिया सहित।	1.30 +6मी 0 स्पान	52.00	52.00	0.05
कुल योग:-		629.16	629.16	

Photocopy
Attested
AEC (ग)कृष्ण
हिमा
नैनीताल

(रु 0 पैसा सहित)

द्वितीय
(प्रदीप सिंह)
नृप सरकारप्रमाणिक 117 क्र/ 509 अ/ 08
जिनेलीप ओर्कर कामिन्ता एकीम शाला एवं
कामिन्ता द्वारा किया गया काम का प्रमाण सही उत्तीर्ण किया।

आज्ञा सं.

200-155/160 दिन 14-06-2008 पात. जाकी वेजट ली-
किमी 0.80 (पुल) - तुफ. लैनियाहल्दु द्वारा
किया गया काम का प्रमाण सही उत्तीर्ण किया।प्रमाणिक 31 क्र/ 400 अ/ 08
जिनेलीप ओर्कर कामिन्ता एवं एकीमद्वितीय वृत्त ल 0 100 दिन
नैनीताल

31/3108

अधिकारी अमितला
प्रांतीय खण्ड, लोनियाहल्दु
नैनीताल

इमिट

राजनीति